48

संख्या– — /XXXVI(1)/2012–184/2001–टी0सी0

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 1 मार्च, 2012

विषय– मा0 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं जिला बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चम्पावत, ऊधमसिंहनगर में जिला विधिक प्राधिकरण में सृजित पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–16/XXXVI(1)/2011–184/2001–टी0सी0 दिनांक 09–02–2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु मूलरूप में शासनादेश संख्या–106–एक/न्याय विभाग/2002 दिनांक 01–05–2002 द्वारा सृजित 23 पदों, मा0 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति हेतु शासनादेश संख्या–12–एक(5)/न्याय विभाग/2003 दिनांक 21–08–2003 द्वारा सृजित 02 पदों, जिला बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या–15–एक(5)/न्याय विभाग/2003 दिनांक 25–07–2003 द्वारा सृजित 06 पदों, ऊधमसिंहनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या–16–एक(5)/न्याय विभाग/2003 दिनांक 20–08–2003 द्वारा सृजित 02 पदों, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या–5–एक(5)/छत्तीस(1)/न्याय अनु0/2005 दिनांक 11–02–2005 द्वारा सृजित 01 पद एवं शासनादेश संख्या–8–एक(5)न्याय अनु0/2003 दिनांक 28–06–2005 द्वारा सृजित 02 पदों अर्थात कुल 36 पदों के कार्यकाल को वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये दिनांक 01–03–2012 से दिनांक 28–02–2013 तक बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति/सेवा शर्तें सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होगीं।

3– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–05–राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण–00" के अन्तर्गत एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए लेखा शीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–06–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–1270/76–दस दिनांक 20 जुलाई 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 07–11–1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

क्रमश.....2

5– उक्त के साथ वित्त (वे0आ0–स0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–118(1)/XXVII(7)/2006 दिनांक 31–08–2006 की छायाप्रति इस अनुरोध के संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त पदों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश में उल्लिखित 09 बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या सहित पदों के स्थायीकरण का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या– 4-9 (1)/XXXVI(1)/2012–184/2001–टी0सी0 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा देहरादून।
2– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3– जिला न्यायाधीश, बागेश्वर/रूद्रप्रयाग/चम्पावत/नैनीताल।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंहनगर/बागेश्वर/रूद्रप्रयाग/चम्पावत/नैनीताल।
5– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव